CNR N0-UPBJ01009762025

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(सुबोध सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP–6329

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0ः– 595/2025

इलियास बनाम अधिशासी अभियन्ता आदि

10–10–2025

पत्रावली पुनः पेश हुयी।

प्रार्थी इलियास के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र ख–5 पर बल देते हुये न्यायालय से यह प्रार्थना की गयी कि विपक्षीगण अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बिजनौर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 16,436/–रूपये का बकाया गलत तरीके से दिखाया गया है। प्रार्थी ने इस धनराशि के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन हेतु यह परिवाद दायर किया है। प्रार्थनापत्र ख–5 उक्त धनराशि की वसूली पर स्थगन आदेश पारित किये जाने के लिये दिया गया है।

न्यायालय में उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु दिये गये इस प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि विद्युत अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार न्यायालय इस प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता है।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/परिवादी के द्वारा यह प्रकीर्ण वाद विपक्षी सं01 लगायत 3 के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 154(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आज ही विपक्षीगण की ओर से वकालत नामा दाखिल किया गया है तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये समय मांगा गया है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 145 में किये गये प्रावधान के अनुसार यह कहा गया है कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसारण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/परिवादी के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का व्यादेश अथवा अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी/परिवादी के द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र ख–5 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी / परिवादी का प्रार्थनापत्र ख–5 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आपत्ति नियत दि0 15–10–2025 को पेश हो।

दिनांकः–10–10–2025

(सुबोध सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।
JO CODE UP-6329

Digitally signed by Subodh Singh
Date: 2025.10.10 16:11:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court